

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2260
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 11th DECEMBER, 2015
AGRAHAYANA 20, 1937 (SAKA)**

Cultivation of Cannabis Plants

2260. SHRI B. SENGUTTUVAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether Government proposes to permit the cultivation of cannabis plants on account of their medicinal use and medical research; and
- (b) if so, the details thereof and the steps taken in this regard?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE:
(SHRI JAYANT SINHA)**

(a) & (b) As per Section 10, sub-section (1), clause (a), sub-clause (iii) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the power to regulate cultivation of cannabis plant, production, manufacture, possession, transport, import inter-State, export inter-State, sale, purchase, consumption or use of cannabis (excluding *charas*) is vested with the State Government.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2260

(जिसका उत्तर शुक्रवार, दिनांक 11 दिसंबर, 2015 अग्रहायण 20, 1937 (शक) को दिया जाना है)

भाग की खेती

2260. श्री बी. सेनगुप्तुवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भाँग के पौधे के औषध उपयोग और चिकित्सा अनुसंधान को देखते हुए इसकी खेती की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) तथा (ख) : स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 10, उपधारा (1), खंड (क), उपखंड (III) के अनुसार भांग के पौधे की खेती, भांग के उत्पादन, विनिर्माण, धारण, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग अथवा उसके उपयोग (चरस को छोड़कर) को विनियमित करने का अधिकार राज्य सरकार का है।
